लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0–226007

अन्तिम अवसर

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :............................/सम्बद्धता/2019

दिनांक :..

ई–मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय–ज्ञाप

संदर्भ :– विश्वविद्यालय से निर्गत नोटिस संख्या : एएफ 50734–39 –69/सम्ब./ 2017, दिनांक 08.11.2017
2. संख्या : एए519–22/2019, दिनांक : 07.2019
3. संख्या : एएफ–3375–78, दिनांक : 15.02.2019
4. संख्या : आर/225–28, दिनांक : 07.03.2019

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त निम्नलिखित महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पूर्व से संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता 30 जून, 2016 को समाप्त होने जा रही है, इस सम्बन्ध में सूच्य है कि माननीय **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 मई, तक बी0एड0** पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता के निस्तारण हेतु अन्तिम तिथि पूर्व से निर्धारित है। तत्क्रम में सम्बन्धित बी0एड0 महाविद्यालयों को निर्देशित किया था कि – **"आगामी शिक्षण सत्र 2019–20 से स्थायी सहयुक्तता (जिनके तीन वर्ष के परीक्षा परिणाम प्राप्त हो चुके हैं)/पूर्व प्रदत्त अस्थायी सहयुक्तता को 2019–20 के लिए विस्तरण प्रदान किये जाने हेतु समस्त कमियों के निस्तारणोपरान्त स्थलीय निरीक्षण आख्या/सुसंगत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में 31.03.2019 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें", किन्तु निम्नलिखित महाविद्यालय द्वारा अभी तक प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है :–**

क.सं.	महाविद्यालय का नाम
1	एम0सी0 सक्सेना कालेज ऑफ एजूकेशन, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ।

2. उल्लेखनीय है कि सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनाक 19.06.2017 द्वारा निर्णय पारित किये गये हैं कि–"किसी भी महाविद्यालय को तीन वर्ष के अन्तर्गत स्थायी सहयुक्तता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तीन वर्ष के निर्धारित अवधि के अन्दर स्थायी सहयुक्तता प्राप्त न करने पर एक वर्ष का समय अतिरिक्त दिया जायेगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत महाविद्यालय शर्तो को पूरा नहीं कर पाता है एवं स्थायी सहयुक्तता नहीं प्राप्त कर पाता है तो प्रतिवर्ष एक लाख रू0 अर्थदण्ड के साथ तीन वर्ष का समय और प्रदान किया जायेगा, तत्पश्चात विश्वविद्यालय से महाविद्यालय की सहयुक्तता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।" जिसकी सूचना भी पूर्व में प्रसारित की जा चुकी है।

3. **अतः उपरोक्त बी0एड0 महाविद्यालय जिसके द्वारा अभी तक निरीक्षण आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, को बाक्स में संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में *पुनः अन्तिम अवसर* प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या/सुसंगत प्रस्ताव प्रत्येक दशा में तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में बी0एड0 पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 से प्रवेश प्रतिबन्धित समझा जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।" अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि सहयुक्तता के अभाव में यदि प्रवेश लिया जायेगा तो ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नहीं करायी जायेगी।**

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

संख्या R/481/2019 दिनांक : 26.04.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति के अवलोकनार्थ।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0।
4. इन्चार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सम्बन्धित महाविद्यालय को ई–मेल से प्रेषित करने व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
6. गार्ड फाईल।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव